

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2015

### [काला धन (अघोषित आय और परिसंपत्तियां) और करारोपण]

**का.आ. 2299(अ).**—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा-(4) उपखंड (ख), काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) और करारोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) की धारा 6 के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि अपर आयकर आयुक्त या संयुक्त आयकर आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो उक्त काला धन (अघोषित आय और परिसंपत्तियां) और करारोपण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों या व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग, आय या आय वर्ग या मामलों या मामलों के वर्गों के बारे में उन निर्धारण अधिकारियों के उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे जिसके लिए ऐसे अपर आयकर आयुक्त, या संयुक्त आयकर आयुक्त, को उक्त आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 120 की उपधारा (1) और (2) के अंतर्गत बोर्ड के निदेशों के अनुसरण में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर महानिदेशक या प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।

[अधिसूचना सं. 73/2015/फा. सं. 187/13/2015-(आईटीए-1)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक